न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

वाद पत्र संख्या :–13 / दावा / 2018

सन् 2018

पीठासीन अधिकारी

मोहम्मद ताहिर (RAS)

राजू बाई पुत्री भैरू लाल पत्नी बृजमोहन जाति मीणा निवासी जय हिन्द नगर प्रथम, पुलिस लाईन बॉरा रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।

वादीनी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

– प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी सत्यमेव जयते

<u>वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा</u>

वादीनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता :– श्री नन्द सिंह सोलंकी

पैरोकार सरकार उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक :–09.09.2019

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा

1. वादीनी की और से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा दिनांक 12.02.2018 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया।

Scanned by CamScanner

2 वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :– कृषि भुमि खसरा संख्या 807 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। जिसके खातेदार नन्दू बेवा भैरू कौम मीणा दर्ज है। वादीनी उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदार नन्दू बेवा भैरू की पुत्री है। नन्दू बेवा भैरू की दिनांक 11–12–2012 को स्वर्गवास हो चुका है। वादीनी ही नन्दू बेवा भैरू की एक मात्र वारिस है। तहसीलदार तालेड़ा ने उक्त भूमि पर फौती इन्तकाल खोलने से इसलिए मना कर दिया कि उक्त भूमि मे 175 आर.टी. एक्ट की कार्यवाही विचाराधीन है जबकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार की 175 की कार्यवाही जैरकार नही है। वादीनी ने अन्त मे प्रार्थना की कि वादीनी का वाद पत्र स्वीकार कर वादीनी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

2. वादीनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वाद पत्र का जवाब पेश किया।

3. वादीनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे स्वयं को पीडब्ल्यू 1 के रूप मे न्यायालय के समक्ष स्वयं को परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2072 पेश की, फोटो इन्तकाल की फोटो प्रति पेश की प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गई।

4. वादीनी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीनी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादीनी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि वाद वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध मे 175 आर.टी. एक्ट की कार्यवाही जैरकार है या नही। इस सम्बन्ध मे न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 1/2007 वउनवान सरकार बनाम शिवराज की प्रत्रावली को तलब किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर होता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 807 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा पर किसी

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

प्रकार की 175 आर.टी. एक्ट की कार्यवाही जैरकार नही है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी का दायित्व है कि वादीनी के नाम उक्त भूमि का फोती इन्तकाल खोला जाता। वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादीनी वाद वर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी पाई जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भुमि खसरा संख्या 807 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। पर 1/2 हिस्से पर नन्दू बेवा भैरू के स्थान पर वादीनी का नाम खातेदार के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner